(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 174 / 2024 जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2024 / 327

1. रामपाल पुत्र माडूराम उम्र 64 साल जाति जाट निवासी भूरिवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

........................प्रार्थी

– ब ना म –

1. पृथ्वी सिंह पुकत्र रिछपाल जाति जाट निवासी भूरिवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. मुन्नी देवी पत्नी विजय सिंह
3. योगेश कुमार पुत्र विजय सिंह
4. सुनिता पुत्री विजय सिंह समस्त जाति जाट निवासी भूरिवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

...........................अनावेदकगण

आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री राकेश अहलावत अधिवक्ता

अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से – श्री प्रविन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 20.12.24

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम भूरिवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075– 2078 के खाता संख्या 134 के खसरा नम्बर 320 रकबा 2.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 373 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 4.07 हैक्टर भूमि में प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1/2 हिस्सा भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 320 रकबा 2.19 हैक्टर में भूमि के अपने मकान व कुऑ (विधुत चाह) बनाकर आबाद हैं।

2. यह कि भूमि 320 के दक्षिण की तरफ भूमि खसरा नम्बर 319 स्थित है जिसमें से एक प्रचलित रास्ता है जो कि भूरिवास से जैतपुर को जाता है। उक्त रास्ता भूरिवास में जाकर आगे बुहाना सतनाली स्टैण्ड पर मिलता है। उक्त रास्ता प्रचलित कदीमी हैं।
3. यह कि प्रार्थी को अपने खेत मे व मकान व कुआ पर आने जाने के लिए नजरी नक्शे में दर्शित लाल स्याही से दर्शित रास्ते से आवागमन कास्त आ रहा हैं। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 320 के खाते के लिए खसरा नम्बर 319 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे आता जाता हैं तथा अपने खेत खसरा नम्बर 320 में फसल को कास्त करना। कुऑ की मोटर आदि के खराब होने पर सही करना तथा अपनी फसल को काटना बेचान, आदि के सभी उपकरणों का उपयोग इसी रास्ते से करता आ रहा है। उक्त रास्ते की लिखावट भी प्रार्थी के पास है। जो कि दिनांक 03.07.1994 को गॉव के मौजित व्यक्तियों के बीच में हुई है। जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं।
4. यह कि प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पीक उपयोग– उपभोग रास्ता मौजूद नहीं हैं। प्रार्थी अपने उक्त रास्ते से काबिज चालीस वर्ष से लगातार कर रहा है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को रोकने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी की लिखावट गॉव में मौजिज व्यक्तियों के बीच दिनांक 03.07.1994 को हुई है तथा उसके उपरान्त भी प्रार्थी बीना किसी बाधा के उक्त रास्ते को अवरूद्व करने के कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) के उन्तग्रत न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं जो सावधि हैं।
5. यह कि प्रार्थी उक्त रास्ता के सम्बन्ध में धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. 1955 के प्रावधान के अनुसार अप्रार्थी को डी.एल.सी. मूल्य के दुगने रूप्ये देने को तैयार हैं।
6. यह कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 प्रफोरमा डिपेन्डेन्ट हैं यानि जमाबन्दी में मात्र सह खातेदार है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण से कोई रिलिफ नहीं हैं।

उपखण्ड अधिकारी, जिला झुंझुनूं (राज.)

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

यह कि ग्राम भूरिवास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि खसरा नम्बर 320 रकबा 2.19 हैक्टर में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 319 के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे नजरी नक्शे के अनुसार 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(2) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थीगण संख्या 1 की और से श्री प्रविन्द्र सिंह शेखावत शर्मा एडवोकेट द्वारा जवाब पेश किया गया है।

(3) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 445 दिनांक 08.10.2024 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 3056 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की –

(1) ग्राम भूरिवास यह कि आवेदक को रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत (हालिंग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। यह कि पहुचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्व होता है।

(2) यह कि प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दू से आवेदक की भूमि तक रास्ते को नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। यह कि प्रस्तावित रास्ते में कोई वृक्ष, फसल या निर्माण नही है।

(3) यह कि प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 52 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 210 वर्गमीटर होता है। व सबसे सुलभ व निकटतम है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत / मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन / रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, के आधार पर आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार, प्रार्थी की जोत में ख0 न0 320 में जाने हेतु अप्रार्थीगण के ख0 न0 319 के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे से प्रचलित रास्ते तक 12 फुट चौड़ाई का रास्ता दिया जाता है। प्रार्थी जिसके बदले में अप्रार्थी को डी.एल.सी का दुगुना भुगतान करे। तहसीलदार राशि की गणना निर्णय के 15 दिवस में करना सुनिश्चित करे। रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा जो कि गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज होगा ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः—174/2024
रामपाल बनाम पृथ्वीसिंह आदि
निर्णय दिनांकः— 20.12.2024

आदेश

'' न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाणी भूरिवास में स्थित भूमि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट, के आधार पर प्रार्थी को जोत में खसरा नम्बर 320 में जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 319 के पश्चिमी मेड के सहारे सहारे से प्रचलित रास्ते तक 12 फुट चौड़ाई का रास्ता दिया जाता है। जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख से दर्शाया गया है। जिसको रास्ता के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श —''अ'' के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में ''सार्वजनिक रास्ते'' के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना नियमानुसार ग्राम भूरिवास की अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित दर से दो गुणा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श —''अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे ''।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 20/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना